

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या - 22/2012

त्रिवेणी साव बनाम दलवीर मिर्धा वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

06.06.2023

यह वाद आवेदक

यह वाद अपीलार्थी त्रिवेणी साव, पिता-स्व० गाजी साव, ग्राम-बभनी सुकरीगढ़ा, पो०-लारी, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर के सी०आर०आर० वाद संख्या-19/2010-11 त्रिवेणी साव बनाम दलवीर मिर्धा वगै० में दिनांक-07.07.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। वाद को अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा Compromise Petition दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के साथ उपरोक्त वाद से संबंधित उत्पन्न विवाद का समझौता हो गया है। तथा इस बावत एक सुलहनामा निष्पादित किया गया है, उन्होंने उपरोक्त अपील वाद को वापस लेने की अनुमति वो स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है।

अतः दोनों पक्षों के द्वारा दायर Compromise Petition के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवी जिध्रा
06.6.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवी जिध्रा
06.6.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

C.C. signed
22/06/23

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या-22/2012

त्रिवेणी साव बनाम् दलवीर मिर्धा वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

24/05/25

अभिलेख उपस्थापित।

विविध अपील वाद संख्या-22/2012 त्रिवेणी साव बनाम् दलवीर मिर्धा वगै० में तत्कालिन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक-06.06.2023 को आदेश पारित किया गया है। अपरिहार्य कारणों से उक्त वाद का अंतिम पारित आदेश राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। दिनांक-11.03.2025 को राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त वाद में पारित अंतिम आदेश की प्रति राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करें।

Chandley
24/05/25
उपायुक्त,
रामगढ़।